रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23042021-226726 CG-DL-E-23042021-226726

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1568] No. 1568] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 23, 2021/वैशाख 3, 1943 NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 23, 2021/VAISAKHA 3, 1943

## आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2021

का.आ. 1686(अ).—राष्ट्रपति ने 22 अप्रैल, 2021 को भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2021(2021 का 5) प्रख्यापित किया, जो उक्त तारीख को प्रवृत्त हुआ;

और जबिक धारा 3क की उप धारा (2) (उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित) द्वारा परिषद के अधिग्रहण की तारीख से दो वर्षों की अविध के भीतर भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 (1970 का 48) की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसरण में केंद्रीय परिषद का पुनर्गठन अपेक्षित है।

अत: अब केंद्रीय सरकार, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 3क की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा, भारत के राजपत्र में संख्या का. आ. 1367(अ), तारीख 24 अप्रैल, 2020 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा संख्या 3 में "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष" शब्दों, प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[वाई-11011/01/2021-ईपी-III]

पी. एन. रण्जीत कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में संख्यांक का. आ. 1367(अ), तारीख 24 अप्रैल, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

2375 GI/2021 (1)

## MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 2021

**S.O. 1686(E).**—Whereas, the President promulgated the Indian Medicine Central Council (Amendment) Ordinance, 2021 (5 of 2021), on 22nd April, 2021, which came into force on the said date;

And Whereas, sub-section (2) of section 3A (as amended by the said Ordinance) requires the Central Council to be reconstituted in accordance with the provisions of section 3 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) within a period of two years from the date of supersession of the Council;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 3A of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India published in Gazette of India, *vide* number S.O. 1367 (E), dated the 24th April, 2020, namely:-

In the said notification, in paragraph number 3, for the words "one year", the words "two years" shall be substituted.

[Y-11011/01/2021-EP-III]

P.N. RANJIT KUMAR, Jt. Secy.

**Note**: The principal notification was published in the Gazette of India, *vide* number S.O. 1367 (E), dated the 24th April, 2020.